

न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर
बड़जलास - चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या - 23/2025

प्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा
अधिकारी कार्यालय मुख्य
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
अधिकारी कम अभिहित
अधिकारी, नागौर

बनाम

अप्रार्थी
शोकत अली पुत्र मौहम्मद अली निवासी 1547, कुमारी मार्ग, बांगी मोहल्ला, बासनी
बेलिमा, नागौर।
मैसर्स:- रिजवी फ्लोर मिल, कुम्हारी रोड, बासनी, नागौर।

दिनांक : 30.07.2025

आदेश

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 28-03-2025 को मैसर्स रिजवी फ्लोर मिल, कुम्हारी रोड, बासनी, नागौर पर खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्तु जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 3347 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/331/एक्ट /2025/351 दिनांक 07.04.2025 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) Food Containing Extraneous Matter होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त शोकत अली पुत्र मौहम्मद अली निवासी 1547, कुमारी मार्ग, बांगी मोहल्ला, बासनी बेलिमा, नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन किया है, जो कि एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 54 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्राथी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 27-06-2025 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्राथी ने दिनांक 28.07.25 को अपना जवाब प्रस्तुत कर लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार किया। अप्राथी ने अपने जवाब में बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर ने मेरी फर्म से धनिया पाउडर का सैम्पल लिया जो जांच में Food Containing Extraneous Matter होना पाया गया। भविष्य में धनिया पाउडर बेचते समय ध्यान रखूंगा। लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करता हूँ। अप्राथी ने दोष मुक्त करवाने एवं कम से कम जुर्माना लगाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस/331/एक्ट /2025/351 दिनांक 07.04.2025 के अनुसार खाद्य पदार्थ धनिया पाउडर (लूज) का नमूना Food Containing Extraneous Matter होना पाया गया। इसलिये अप्राथी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्राथी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत अप्राथी शोकत अली पुत्र मौहम्मद अली निवासी 1547, कुमारी मार्ग, बांगी मोहल्ला, बासनी बेलिमा, नागौर पर रुपये 10,000/- अक्षरे दस हजार रुपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्राथी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्राथी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्राथी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतर्गत वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चम्पालाल जीनगर)

अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

नागौर (राजस्थान)